"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 — माघ 27, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 10-8/2018/वाक/पांच (19). — छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 6/2018-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-4/2018/वाक/पांच (13) तारीख 25 जनवरी, 2018 के अंग्रेजी पाठ में,-

(i) खंड (B) के अनुक्रमांक (i) में, "substituted" शब्द के स्थान पर "inserted" पढ़ा जाए;

(ii) खंड (B) के अनुक्रमांक (ii) में, "substituted" शब्द के स्थान पर "inserted" पढ़ा जाए;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 10-8/2018/वाक/पांच (19).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2018/वाक/पांच (19), दिनांक 13-02-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th February 2018

CORRIGENDUM

No. F 10-8/2018/CT/V (19).— In English version of the notification No. 6/2018-State Tax (Rate), No. F -10-4/2018/CT/V (13) dated the 25th January, 2018 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh,-

(i) in serial no. (i) of the clause (B) the word "substituted" shall be read as "inserted";

(ii) in serial no. (ii) of the clause (B) the word "substituted" shall be read as "inserted";

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

अधिसूचना

सं. 11/2018 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-7/2018/वाक/पांच (18). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 74/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-98/2017/वाक/पांच (188) तारीख 29 दिसम्बर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 581 में तारीख 30 दिसम्बर 2017 को प्रकाशित किया गया था, को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 10-7/2018/वाक/पांच (18).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-7/2018/वाक/पांच (18), दिनांक 13-02-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th February 2018

NOTIFICATION

No. 11/2018 - State Tax

No. F 10-7/2018/CT/V (18).— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby rescinds, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the notification No. 74/2017-State Tax, F-10-98/2017/CT/V (188) dated the 29th December, 2017 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 581, dated the 30th December, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.